फा.सं. 01/7/18(2017-18)/रा.भा.

राष्ट्रीय महिला आयोग

***

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025,
तारीख: 25 मई, 2018

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तारीख 28 मई, 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त - के संबंध में

तारीख 28 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में संयुक्त सचिव के कक्ष में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

2. यह अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में समिति के समक्ष रखी गई कार्यसूची मदों के संबंध में किए गए विनिश्चय के आधार पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र उक्त समिति के समक्ष आगामी बैठक में रखा जाए।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

विजय शंकर
परामर्शदाता (रा.भा.)

सेवा में:

1. अध्यक्षा (प्रभारी) के निजी सचिव
2. सदस्य (सुषमा साहू) के निजी सचिव
3. सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
4. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
6. उप सचिव के निजी सचिव
7. अवर सचिव(आर.सी.)/अवर सचिव(पी.के.)/वेतन और लेखा अधिकारी/ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी
8. परामर्शदाता (सी एण्ड आई) और (एन ई)/आर ओ(एन आर आई)
9. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी
10. ज्येष्ठ प्रोग्रामर/प्रशासन लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 28 मई, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में संयुक्त सचिव के कक्ष में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थितः-

1. श्री कुन्दल लाल शर्मा (संयुक्त सचिव)	अध्यक्ष
2. श्री आर.सी. आहूजा (अवर सचिव)	सदस्य
3. सुश्री के. ललिता (सहायक विधि अधिकारी)	सदस्य
4. श्रीमती लीलावती (वरिष्ठ समन्वयक)	सदस्य

निम्नलिखित भी उपस्थितः-

1. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
2. श्री विजय शंकर	परामर्शदाता (रा.भा.)

आरंभ में अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गयाः-

कार्यसूची मद सं. 1:

इस मद के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि हिंदी भाषा में काम को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कार्य हिंदी भाषा में करने का प्रयास किया जाए। निश्चित रूप से यह प्रयास किया जाए कि सभी आदेश शत-प्रतिशत हिंदी भाषा में जारी किए जाए।

कार्यसूची मद सं. 2:

समिति को यह अवगत कराया गया कि आयोग के अधिदेश के अनुसार संगोष्ठियों और कार्यक्रमों का आयोजन अधिक से अधिक हिंदी भाषा में किया जा रहा है।

कार्यसूची मद सं. 3:

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष से ही सभी कानूनों के माड्यूल का प्रयोग दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग में आने वाली सभी महिलाओं को अधिक से अधिक परामर्श और जानकारी हिंदी भाषा में ही प्रदान की जाती है।

कार्यसूची मद सं. 4:

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि महिलाओं से संबंधित सभी अधिनियम द्विभाषा में उपलब्ध हैं।

कार्यसूची मद सं. 5:

समिति ने यह निर्णय लिया कि आयोग के सभी प्रकोष्ठ हिंदी भाषा में प्राप्त पत्र आदि का उत्तर शत-प्रतिशत हिंदी भाषा में ही भेंजेगे और जहां पत्रों का उत्तर दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में भेजना आवश्यक है वहां ऐसे पत्रों का उत्तर द्विभाषा में ही भेजा जाएगा। समिति ने यह निदेश भी किया कि इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाए। श्रीमती लीलावती, सदस्य ने टंककों आदि को हिंदी भाषा में टंकण और टिप्पण लिखने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए जोर दिया और आशा व्यक्त की कि इस दिशा में उचित कदम उठाया जाएगा।

अध्यक्ष को और उनकी ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।